भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3086

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली सुरक्षा मानकों का अनुपालन

3086. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर बिजली सुरक्षा मानकों का अपर्याप्त पालन या पालन में कमी से दुर्घटनाओं और विद्युत खतरों का जोखिम पैदा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, खराब तारों, खुले बिजली के खंभों और कम वोल्टेज वाली लाइनों की पहचान करने, उन्हें बदलने या अपग्रेड करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत निरीक्षण कार्यालय ने हाल ही में सोनीपत में कोई सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण या जागरुकता अभियान चलाया है; और

(घ) यदि हां, तो बिजली सुरक्षा को मजबूत करने, दुर्घटनाओं को रोकने, आधुनिक सुरक्षा उपकरण स्थापित करने और उपभोक्ताओं को बिजली के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा करने वाले किसी विशिष्ट विद्युत संस्थापन की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) : हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) नियमित रूप से ओवरलोडेड वितरण ट्रांसफार्मरों की पहचान करता है और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर उनके संवर्धन या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की संस्थापना के लिए

आवश्यक उपाय करता है। वित्त वर्ष 2025-26 (अब तक) के दौरान, लगभग 750 वितरण ट्रांसफार्मरों को सोनीपत सर्कल में अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा, वितरण लाइनों में कमियों, जैसे कि घिसे-पिटे या सैगिंग कंडक्टर, पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

(ग) : हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सोनीपत जिले में नियमित विद्युत सुरक्षा निगरानी जारी है और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत विद्युत सुरक्षा निरीक्षक द्वारा हाल की अवधि में अलग से कोई विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षा या जागरूकता अभियान आयोजित नहीं किया गया।

तथापि, यूएचबीवीएनएल ने दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग का कार्य आरंभ किया है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को जनता दरबार के माध्यम से संवेदनशील बनाया जा रहा है और पैम्फलेट के माध्यम से जानकारी का प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विद्युत संस्थापनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) का ससमय निरीक्षण किया जा रहा है।

(घ) : विद्युत सुरक्षा को सुदृढ़ करने, दुर्घटनाओं रोकथाम, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को तैनात करने और विद्युत के सुरक्षित उपयोग पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

I. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 (क) और 177 (2) (ख) के अनुसार**,** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विद्युत सुरक्षा**,** दुर्घटना रोकथाम और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति विनियमों से संबंधित उपायों को अधिसूचित किया है।

II. विद्युत सुरक्षा निरीक्षक जनता को विद्युत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए सोनीपत सहित देश भर में नियमित आधार पर विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

****